न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 265 / 2016

आरसीएमएस नं. 2016 / 00205

1. मोहनलाल पुत्र माडुराम जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. रामस्वरूप पुत्र प्रकाश जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. हंसराज पुत्र सोहनलाल जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

क– गोरादेवी पत्नी हंसराम जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

ख– सन्तरो पत्नी हंसराम जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

ग– चन्दो
घ– विद्या
ङ– सीता
च– लीलावती
छ– बोगादेवी
ज– महेन्द्र
झ– चन्द्री देवी
ट– सुनीता देवी
ठ– सावित्री देवी

} पुत्रियां हंसराम जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

ड– रमेश पुत्र हंसराज जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

द– रोहताश पुत्र हंसराम जाति सुनार निवासी गांधी बड़ी तहसील भादरा।

ण– रविन्द्र कुमार पुत्र हंसराम जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

क– सुनिता पत्नी रविन्द्र जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

ख–अभिषेक पुत्र रविन्द्र जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

2. फकीरचन्द पुत्र हंसराम जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

–असल रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

3. सन्तराम पुत्र माडूराम जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

3/क विमला पत्नी सन्तलाल जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

3/ख – बालादेवी पुत्री सन्तलाल जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

3/ग–कालुराम पुत्र सन्तलाल जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

3/घ– कौशल्या पुत्री सन्तलाल जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

3/ड़–कमला पुत्री सन्तलाल जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

4. कृष्ण पत्नी धनपत जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

5. सुभाष पुत्र धनपत जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

6. चन्दोपत्नी प्रकाश जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

7. महेन्द्र पुत्र प्रकाश जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

8. बाधो बेवा इन्द्राज जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

9. देवीलाल
10. रतनलाल
11. कृष्ण

} पि0 इन्द्राज जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

12. बलवन्त पुत्र माडूराम –फौत

12/1 रामी पत्नी बलवन्त जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

12/2 पूजा उम्र 16 वर्ष } पुत्रीयान जगदीश पुत्र बलवन्त नाबालिगान जरिये
12/3 नरेश उम्र 12 वर्ष } संरक्षक राजेश पुत्र बलवन्त जाति सुनार निवासी चिड़ियागांधी तहसील भादरा

12/3 राजेशपुत्र बलवन्त जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

12/5 कृष्ण पुत्र बलवन्त जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

13. रोहताश पुत्र धनपत जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

14. विरेन्द्र पुत्र धनपत जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

— **रेस्पोडेंट्स**

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

(2) अपील संख्या 275/2016

आरसीएमएस नं. 2016/0011

1. बलवन्त पुत्र माडुराम –फौत

12/1 रामी पत्नी बलवन्त जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

12/2 पूजा उम्र 16 वर्ष } पुत्रीयान जगदीश पुत्र बलवन्त नाबालिगान जरिये
12/3 कोमल उम्र 14 वर्ष } संरक्षक राजेश पुत्र बलवन्त जाति सुनार निवासी
12/4 नरेश उम्र 12 वर्ष } चिड़ियागांधी तहसील भादरा

12/5 राजेश पुत्र बलवन्त जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

12/6 कृष्ण पुत्र बलवन्त जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

12/7 संतोष पुत्री बलवन्त जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

3. रोहताश पुत्र धनपत जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. मोहन लाल } पि0 माडुराम जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील
2. सन्तलाल } भादरा जिला हनुमानगढ।
3. कृष्णा पत्नी धनपत जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

Lamo
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. सुभाष पुत्र धनपत जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

5. चन्द्रा पत्नी प्रकाश धनपत जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

6. महेन्द्र
7. रामस्वरूप
} पि0 प्रकाश जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

8. बाधो देवी बेवा इन्द्राज धनपत जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

9. देवीलाल
10. रतनलाल
11. कृष्ण
} पि0 इन्द्राज जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

12. हंसराम पुत्र सोहनलाल जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा –फौत

12/1 सन्तरो देवी पत्नी हंसराम जाति सुनार निवासी हाल देव मुकलाना त0 हिसार, हरियाणा

12/2 गोरादेवी पत्नी हंसराम जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

12/3 चन्दो
12/4 विद्या
12/5 सीता
12/6 लीलावती
12/7 बागोदेवी
12/8 महेन्द्र
12/9 चुसी
12/10 सुनीता
} पुत्रियां हंसराम जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

12/11 सावित्री देवी

13. फकीरचन्द पुत्र हंसराम जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

14. राजस्थान सरसकार जरिये तहसीलदार भू राजस्व भादरा

15. विरेन्द्र पुत्र धनपत जाति सुनार निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा

— **रेस्पोडेंट्स**

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 14.01.2016
प्रकरण संख्या 94/2012 अनवान मोहनलाल बनाम हंसराम आदि

उपस्थितिः–

श्री महेश शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी अपील सं0 265/2016
श्री भरत सिह बेनीवाल अधिवक्ता अपीलार्थी अपील सं0 275/2016
श्री विजय कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 16

निर्णय दिनांक 25.8.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट मोहनलाल एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष एक वाद इस आशय का पेश किया कि चक 6 एसडीआर तहसील भादरा में 33 बीघा भूमि दिनांक 20.01.1959 को सोहनलाल व बस्ती पि0 गंगाराम के नाम पुख्ता आवंटन की गई थी। बस्तीराम लाऔलाद फौत हो गया जिसके नजदीकी वारिसान हरिराम व सोहनलाल जो बस्ती के से भाई है को आधा हिस्सा में सोहनलाल के हिस्से में 8.05 बीघा तथा हरिराम के हिस्सा में 8.05 बीघा भूमि हिस्सा में आई। हरिराम के पूर्व से आवंटित भूमि 24 बीघा के साथ 8.05 बीघा हक होने के कारण 32.05 बीघा भूमि तथा सोहनलाल के 16.010 बीघा भूमि तथा बस्ती की 8.05 बीघा भूमि कुल 24.15 बीघा के खातेदार है किन्तु राजस्व रिकार्ड में सहवन से सोहनलाल व बस्ती की आवंटित 33 बीघा भूमि के साथ हरिराम की 24 बीघा भूमि आवंटन को जोडकर कुल 57 बीघा भूमि दर्ज कर के 1/2 हिस्सा सोहनलाल व 1/2 हिस्सा हरिराम के नाम दर्ज कर दिया जबकि हरिराम की 32 बीघा 5 बिस्वा अथार्त 645 हिस्सा तथा सोहनलाल की 24 बीघा 15 बिस्वा अर्थात 485 हिस्सा का गैरखातेदार हुआ यह दुरूस्ती व इस्तकरार हक का वाद पेश किया । प्रतिवादी ने जववाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया कि अकेले सोहनलाल की आवंटन शुदा भूमि है न कि बस्ती की है अपने अकेले का हक हिस्सा बताकर अपने नाम 33 बीघा की दुरूस्ती की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय में दिनांक 14.02.2014 को हिदायत पैरवी न होना जाहिर करके वाद को खारिज कर दिया गया व अपीलाधीन निर्णय के द्वारा काउण्टर क्लेम को डिक्री किया जिससे व्यथित हेाकर उपरोक्त दो अपीलें पेश हुई हें। दोनों अपीलों में समान पक्षकार होने, एक ही भूमि एवं निर्णय के विरूद्ध अपील पेश होने के कारण इनका निर्णय यहां एक साथ किया जा रहा है। दोनों पत्रावलियों में निर्णय की प्रति अलग अलग रखी जावे।

2. अपील संख्या 265/2016 में अपीलाण्ट के अधवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु चल रही थी। काउण्टर क्लेम में खाता विभाजन की इस्तदुआ भी थी किन्तु ना तो तलबी की गई ना ही जवाब लिया गया अधीनस्थ न्यायालय ने पूरी कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया है। अपीलाण्ट अनपढ ग्रामीण व काश्तकार पेशा है वादीगण अपीलाण्ट के वकील द्वारा ना तो कोई सूचना दी गई ना कोे पैरवी की गई अपीलाण्ट को वगैर सूचना किये ही काउण्टर क्लेम का जवाब बंद करवा दिया व बिना सूचना के ही हिदायत पैरवी न होना जाहिर करके प्रतिवादीगण को फायदा पहुंचाया है। हिदायत पैरवी न होने की सूचना के बाद अदालत द्वारा भी वादी को कोई सूचना नहीं दी गई ना कोई नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट का दावा दस्तावेज से साबित था। तरतीबी प्रतिवादीगण को बिना सुने ही उनके विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 23 जनवरी 2016 को गांव के हल्का पटवारी द्वारा इजराय की सूचना देने व कोर्ट का स्थगन नहीं होने का पूछने पर पता चला। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 14.09.2017 पेज 602, आरबीजे (18) 2011 पेज 674 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

3. अपील संख्या 275/2016 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। अपीलाण्ट को तलब करके सुनवाई व जवाब का मौका नहीं दिया गया ना ही तलबी बन्द की गई है। मातहत अदालत ने बिना दस्तावेज व बिना साक्ष्य के निर्णय पारित किया है। इससे अपीलाण्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलांट को ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि मोहनलाल, रामस्वरूप वादी सं0 1 व 7 ने निर्णय दिनांक 14.01.2016 के विरूद्ध अपील पेश की है परन्तु काउण्टर क्लेम के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की है, जबकि बलवन्त, रोहिताश प्रतिवादी सं0 4, 5 ने 14.01.2016 के विरूद्ध मात्र. काउण्टर क्लेम जो 14.01.2016 को डिक्री किया है उसके विरूद्ध ही अपील पेश की है। दावा खारिजी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार भिन्न भिन्न अपीलांट होने के कारण दो दो अपीलें होनी चाहिए थी। मौजूदा प्रकरण में चार अपीलें होनी चाहिए थी जो नहीं की गई है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का पूर्व से ही ज्ञान रहा है। अपीलाण्ट ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है। वादीगण ने अलॉटमेन्ट आदेश दिनांक 22.10.59 दिनांक 21.08.59 के सम्बन्ध में वाद पत्र पेश किया है जबकि दिनांक 20.09.60 की नजरसानी न0 109 के जरिये पक्षकारान को सुना जाकर तहसीलदार कोलोनाईजेशन द्वारा श्री हरीराम को 24 बीघा व सोहन को 33 बीघाभूमि का आवंटन मंजूर कर पुष्टि हेतु श्रीमान डिप्टी डायरेक्टर को स्वीकृति भेजा था जिन्होंने उक्त तजवीज स्वीकार कर दिनांक 03.11.60 को श्रीमान डीसी साहब हनुमानगढ को प्रेषित किया। जिस दिनांक 29.11.60 को स्वीकार कर लीया गया गया। लिहाजा सोहनलाल उक्त आदेश के ताबे 33 बीघा भूमि का पुख्ता अलॉटी हो गया। अपीलाण्ट/वादी ने इस तथ्य को छुपाया है। अपीलाण्ट ने मिथ्या आधारों पर वाद एवं अपील पेश की है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्त ने अपने कथनों के समर्थन में 2019 आरआरटी पेज 831, 2019 आरआरडी पेज 896, 2009 आरआरटी पेज 946, 2017 आरआरटी पेज 117 एच.सी. के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था, जिसमें प्रतिवादीगण मोहनलाल व फकीरचन्द ने काउण्टर क्लेम पेश किया था। वादी के वाद पत्र पर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उसके अधिवक्ता द्वारा वादीगण की और से हिदायत पैरवी नहीं होने का कथन करने पर दिनांक 29.10.2015 को वाद अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया एवं काउण्टरक्लेम को अपीलाधीन निर्णय के द्वारा डिक्री कर दिया गया। वाद को पैरवी की हिदायत नहीं होने के कारण खारिज कराने से पूर्व अपीलाण्ट किसी प्रकार का नोटिस दिया गया हो ऐसा तथ्य भी सामने नहीं आया है। रेस्पोडेण्ट का काउण्टर क्लेम में खाता विभाजन की इस्तदुआ था। ऐसे में अपीलाण्ट को हिदायत पैरवी नहीं होने बाबत कोई सूचना दिये बिना एवं उसे सुने बिना अपीलाधीन निर्णय के द्वारा काउण्टर क्लेम स्वीकार किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के वपरीत है। अतः उक्त दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर उपरौक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक 25.8.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/8/22

(करतारसिंह पूनिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़